सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 11/13

लालचन्द पुत्र श्री मंगलाराम जाति जाट निवासी 5 पी पी बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

सरपंच, ग्राम पंचायत 11 ईईए पंचायत समिति पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. भादर राम पुत्र श्री गंगाराम जाति जाट निवासी 5 पी पी बी तहसील पदमपुर (मृतक) के विधिक उतराधिकारीगण।
2.1 साहबराम
2.1श्री भगवान
2.3 श्रीमती राजादेवी
2.4 श्रीमती सरस्वती देवी
पत्नीयां भादर राम जाति जाट निवासी 5 पीपीबी तह0 पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2.5 श्रीमती सुन्दरदेवी
2.6 श्रीमती कलावती
पुत्रियां श्री भादर राम जाति जाट निवासी 5 पीपीबी तह0 पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. श्री बद्री पुत्र श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी 5 पीपीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर। मृतक के विधिक उतराधिकारीगण।
3.1 सरस्वती पत्नी बद्रीप्रसाद
3.2 लालचन्द पुत्र बद्रीप्रसाद
3.3 धर्मपाल पुत्र बद्रीप्रसाद
3.4 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बद्रीप्रसाद
अकवाम जाट सकनाए ठाकरी तह0 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3.5 गुड्डी देवी पुत्री बद्रीप्रसाद पत्नी विनोद सहारण निवासी भोमपुरा तह0 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित : 1. श्री गुरचरणसिंह, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
2. श्री राजवीरसिंह, अधिवक्ता, अप्राथीसं0 2.1 व 2.2
3. अप्रार्थीगणसं0 3.1 से 3.5 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

आदेश **दिनांकः 17–6–16**

प्रस्तुत निगरानी लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई। हस्तगत निगरानी राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूखण्ड सं0 65 व 66 का आवंटन गली आम में कर दिया गया है, जिसके आवंटन का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन से पूर्व राज0 पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। आवंटन के समय सरपंच व सचिव आपस में रिश्तेदार थे तथा जिसे आवंटन किया गया है, वह भी उसका नजदीकी रिश्तेदार था। अवैध रूप से लाभ पहुँचाया जाकर सांठ गांठ कर आवंटन किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गॉव 5 पीपीबी के भूखण्ड सं0 65 व 66 का आवंटन जो अप्रार्थी सं0 1 व 2 के हक में किया गया है, को निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी को नोट प्रैस कर, प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाही तथा निवेदन किया कि प्रस्तुत निगरानी को नोट प्रैस के आधार पर खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने मैरिट पर कोई बहस नहीं की, केवल निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा नोट प्रैस करने पर प्रकरण को खारिज करने का निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्ता के पैरा सं0 एक में वर्णित किया गया है कि निगरानीकृत भूखण्ड सं0 65 व 66 गली आम में है, जिसे आवंटन करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। निगरानी के माध्यम से उक्त भूखण्डों को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने पत्र कमांक 86 दिनांक 18–9–13 द्वारा अवगत कराया है कि आवंटन पत्रावली भूखण्ड सं0 65 व 66 (गॉव 5 पीपीबी) उक्त अहातों का आवंटन दिनांक 17–4–64 को ग्राम पंचायत धमूड़वाली द्वारा किया गया है।

दिनांक 17–4–64 के आवंटन को निगरानीकर्ता द्वारा हस्तगत निगरानी के माध्यम से दिनांक 8–2–13 को 49 साल बाद अत्यधिक विलम्ब से चुनौति दी गई है, इस विलम्ब के संबंध में कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस अत्यधिक भारी विलम्ब के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आपने न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित किया है कि :–

न्यायिक दृष्टान्त आर एल डब्ल्यू 1999(3) राज0 पेज 1391 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि " राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953, धारा 27 सपठित धारा 17–क, राजस्थान पंचायत नियम एवं

कलक्टर (प्रशासन)
भरतपुर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

भारत का संविधान, अनुच्छेद 227– निलामी द्वारा भूमि का आवंटन – अपील नहीं की गई – छः वर्ष के विलम्ब के अन्तराल के पश्चात् पुनरीक्षण याचिका पेश – पुनरीक्षण हेतु परिसीमा अवधि निर्धारित नहीं – अभिनिर्धारित – जहॉ पर परिसीमा की अवधि निर्धारित नहीं हो तो उस मामले में युक्तिसंगत समय अवधि में याचिका प्रस्तुत होनी चाहिये – युक्तिसंगत समय की अवधि प्रत्येक मामलों के तथ्यों पर निर्भर करेगी – जो एक अथवा दो वर्ष तक हो सकती है पर छः वर्ष की अवधि का अंतराल बहुत भारी विलम्ब है जो स्वंय में अस्पष्ट है "।

निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17–04–64 के खिलाफ दिनांक 08–02–13 को 49 वर्ष बाद भारी विलम्ब से पेश की गई है, जिसका कारण निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्ययायालय द्वारा छः वर्ष की अवधि का अंतराल बहुत भारी विलम्ब होना माना है। साथ ही यह भी अभिनिर्धारित किया है कि जहॉ पर परिसीमा की अवधि निर्धारित नहीं हो तो उस मामले में युक्तिसंगत समय अवधि में याचिका प्रस्तुत होनी चाहिये – युक्तिसंगत समय की अवधि प्रत्येक मामलों के तथ्यों पर निर्भर करेगी – जो एक अथवा दो वर्ष तक हो सकती है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी 49 वर्ष बाद भारी विलम्ब के साथ पेश की गई है इतने भारी विलम्ब के बाद निगरानीकृत पट्टे को निरस्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में निगरानी दायर करने में हुए विलम्ब को युक्तिसंगत न मानते हुए निगरानी मियाद बाहर शुमार की जाती है।

फलस्वरूप, निगरानी मियाद बाहर होने से निगरानी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 17–6–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/6/16

(कर्णसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner